

॥ कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर क्षेत्र, रायपुर ॥

//नीलामी विज्ञप्ति//

रायपुर रेंज पुलिस विभाग की निष्प्रयोज्य वाहनों, जहाँ है एवं जिस हालत में है, खुली बोली की प्रक्रिया के तहत नीलाम किया जाना है, नीलामी रक्षित केन्द्र, रायपुर (छत्तीसगढ़) की एम0टी0शाखा में दिनांक 05.08.2017 को सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक रखी गयी है। इच्छुक क्रेता चार पहिया वाहनों के लिए रूपये 5,000/- (पाँच हजार रूपये) एवं मोटर सायकल (दो पहिया) के लिए रूपये 2,000/- (दो हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट पुलिस अधीक्षक, रायपुर के नाम से जमा करने उपरांत ही बोली बोल सकते हैं। वाहनों को नीलामी तिथि के 10 दिवस पूर्व से कार्यालयीन समय में पुलिस लाईन, रायपुर (छत्तीसगढ़) में जाकर देखा जा सकता है। नीलामी की अन्य शर्तें पुलिस लाईन रायपुर के नोटिस बोर्ड पर देखी व प्राप्त की जा सकती हैं।

नीलाम किये जाने वाले वाहनों की सूची

स0क्र0	वाहन क्र0	मैक	मॉडल
1	सीजी. 03-3040	टाटा सूमो	2008
2	सीजी. 03-3405	टाटा सूमो विक्टा	2009
3	सीजी. 03-4216	टाटा सूमो विक्टा	2012
4	सीजी. 03-2558	टी.व्ही.एस विक्टर मो.सा	2004
5	सीजी. 03-3456	एम्बेसेडर कार	2009
6	सीजी. 03-1492	महेन्द्रा जीप	2002
7	सीजी. 03-3253	हीरो होण्डा मो. सा.	2008
8	सीजी. 03-2138	टोयोटा क्वालिस	2004
9	सीजी. 03-2267	बजाज बाक्सर मो.सा.	2004
10	सीजी. 03-2277	बजाज बाक्सर मो.सा.	2004
11	सीजी. 03-2274	बजाज बाक्सर मो.सा.	2004
12	सीजी. 03-2428	यामहा क्रश मो. सा.	2004
13	सीजी. 03-2204	हीरो होण्डा मो. सा.	2004
14	सीजी. 03-1740	बजाज बाक्सर मो.सा.	2004
15	सीजी. 03-1748	बजाज बाक्सर मो.सा.	2004
16	सीजी. 03-2263	बजाज बाक्सर मो.सा.	2004
17	सीजी. 03-2266	बजाज बाक्सर मो.सा.	2004
18	सीजी. 03-1946	यामहा क्रश मो. सा.	2004
19	सीजी. 03-2413	यामहा क्रश मो. सा.	2004
20	सीजी. 03-2425	यामहा क्रश मो. सा.	2004
21	सीजी. 03-4677	टाटा सूमो विक्टा	2013
22	सीजी. 03-1199	मारुति जिप्सी	2001
23	सीजी. 03-2740	टाटा सूमो	2006
24	सीजी. 03-3026	आईसर मिनी बस	2008
25	सीजी. 03-4097	मारुति जिप्सी	2011
26	सीजी. 03-1744	बजाज बाक्सर मो.सा.	2004
27	सीजी. 03-5195	महेन्द्रा बोलेरो	2014
28	सीजी. 03-2848	महेन्द्रा जीप	2007
29	सीजी. 03-3313	टाटा 407	2009
30	सीजी. 03-1196	महेन्द्रा जीप	2001

31	सीजी. 03-3485	टाटा सूमो विक्टा	2009
32	सीजी. 03-3861	बोलेरो	2011
33	सीजी. 03-4573	सूमो विक्टा	2012
34	सीजी. 03-4684	सूमो विक्टा	2013
35	सीजी. 03-4690	सूमो विक्टा	2013
36	सीजी. 03-4691	सूमो विक्टा	2013
37	सीजी. 03-3727	टाटा स्पेसियो	2010
38	सीजी. 03-4757	टाटा सूमो	2013
39	सीजी. 03-4837	टाटा सूमो	2013
40	सीजी. 03-2221	हीरो होण्डा सीडी 100 मो.सा.	2004
41	सीजी. 03-2194	हीरो होण्डा स्पलेंडर मो.सा.	2004
42	सीजी. 03-3391	बोलेरो	2009
43	सीजी. 03-0688	टाटा 407	1998
44	सीजी. 03-3046	महिन्द्रा बोलेरो	2008
45	सीजी. 03-3415	महिन्द्रा बोलेरो	2009
46	सीजी. 03-3515	महिन्द्रा बोलेरो	2009
47	सीजी. 03-3210	महिन्द्रा बोलेरो	2008
48	सीजी. 03-3311	टाटा सूमो विक्टा	2009
49	सीजी. 03-2499	टोयोटा क्वालिस	2009
50	सीजी. 03-3453	एम्बेसेडर कार	2009
51	सीजी. 03-3225	एम्बेसेडर कार	2008
52	सीजी. 03-3455	एम्बेसेडर कार	2010
53	सीजी. 03-2576	टाटा इंडिगो कार	2005
54	सीजी. 03-2674	मारुति इस्टीम कार	2005
55	सीजी. 03-1439	मारुति इस्टीम कार	2002
56	सीजी. 03-3170	यामहा क्रश मो. सा.	2008
57	सीजी. 03-3173	यामहा क्रश मो. सा.	2008
58	सीजी. 03-3152	यामहा क्रश मो. सा.	2008
59	सीजी. 03-3174	यामहा क्रश मो. सा.	2008
60	सीजी. 03-2910	तवेरा कार	2007
61	सीजी. 03-2775	मारुति वेन	2006
62	सीजी. 03-3875	एम्बेसेडर कार	2011
63	सीजी. 03-2578	एम्बेसेडर एविगो कार	2005
64	सीजी. 03-2871	यामहा लेबरो मो. सा.	2007
65	सीजी. 03-2624	यामहा क्रश मो. सा.	2005
66	सीजी 03-4080	हीरो होण्डा स्पलेण्डर मो.सा.	2011
67	सीजी.03-2631	यामहा क्रश मो.सा.	2005
68	सीजी. 03-3163	यामहा क्रश मो.सा.	2008
69	सीजी. 03-3164	यामहा क्रश मो.सा.	2008
70	सीजी. 03-2198	हीरो होण्डा स्पलेण्डर मो.सा.	2004
71	सीजी. 03-2190	हीरो होण्डा मो.सा.	2004
72	सीजी. 03-2189	हीरो होण्डा मो.सा.	2004
73	सीजी. 03-3146	यामहा क्रश मो.सा.	2008
74	सीजी. 03-3143	यामहा क्रश मो.सा.	2008
75	सीजी. 03-2202	हीरो होण्डा स्पेलेण्डर मो.सा.	2004

76	सीजी. 03-2113	टाटा सूमों	2004
77	सीजी. 03-2931	टाटा सूमों विक्टा	2008
78	सीजी. 03-2949	महिन्द्रा इन्वेडर जीप	2008
79	सीजी.03-2952	महिन्द्रा इन्वेडर जीप	2008
80	सीजी. 03-3418	महिन्द्रा इन्वेडर जीप	2009
81	सीजी. 03-4417	बोलेरो	2012
82	सीजी. 03-1827	बोलेरो	2003
83	सीजी. 03-2552	बोलेरो	2004
84	सीजी. 03-2657	बोलेरो	2005
85	सीजी. 03-2607	मारुति वेन	2005
86	सीजी. 03-2604	मारुति वेन	2005
87	सीजी. 03-3286	मारुति जिप्सी	2008
88	सी.जी. 03 1734	क्वालिस	2004
89	सी.जी. 03 3268	टाटा स्पेसियो	2008
90	सी.जी. 03 1220	मारुति 800 कार	2002
91	सीजी. 03-1098	मारुती 800 कार	2001
92	सीजी. 03-1446	मारुती 800 कार	2002
93	सीजी. 03-1103	मारुती स्लीम कार	1999
94	सीजी. 03-1440	टाटा इंडिका	2002
95	सीजी. 03-1442	टाटा इंडिका	2002
96	सीजी. 03-1268	टाटा इंडिका	2002
97	सीजी. 03-1441	टाटा इंडिका	2002
98	सीजी. 03-2143	बोलेरो	2004
99	सीजी. 03-2111	टाटा सूमो	2004
100	सीजी. 03-2112	टाटा सूमो	2004
101	सीजी. 03-0583	जीप कमाण्डो	1998
102	सीजी. 03-1689	एम्बेसेडर कार	2003
103	सीजी. 03-2028	मारुती जिप्सी	2004
104	सीजी. 03-2043	मारुती जिप्सी	2004
105	सीजी. 03-2036	मारुती जिप्सी	2004
106	सीजी. 03-0542	बुलेट मो.सा.	1997
107	सीजी. 03-0383	मारुती जिप्सी	1994
108	सीजी. 03-2114	टाटा सूमो	2004
109	सीजी. 03-2737	टाटा सूमो	2006
110	सीजी. 03-1010	एम्बेसेडर	2002
111	सीजी. 03-1003	कावासाकी मो.सो.	1998

// निविदा की शर्तें //

01. उक्त वाहनों को पुलिस लाईन रायपुर (छत्तीसगढ़) एम0टी0 शाखा में अवलोकन किया जा सकता है। (समय 10:00 बजे से 17:00 बजे तक, नीलामी तिथि के 10 दिन पूर्व से)

02. प्रत्येक बोलीकर्ता ऊपर दर्शायी गई अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट जो पुलिस अधीक्षक, रायपुर के नाम से देय होगा, को दिनांक 03.08.17 को शाम 05:00 बजे तक रक्षित निरीक्षक, पुलिस लाईन, रायपुर के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। बाद में स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
03. प्रत्येक बोलीकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 05.08.17 के 10:00 बजे से पुलिस लाईन रायपुर (छत्तीसगढ़) में नीलामी की जावेगी ।
04. बोली स्वीकार होने पर उच्चतम बोली के 10 प्रतिशत राशि, अमानत राशि के अलावा उसी समय जमा करना अनिवार्य है। उक्त राशि जमा नहीं करने पर उनकी पूर्व में जमा की गई अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं उक्त वाहन को उसके दूसरे बोलीदार को दी जावेगी । शेष राशि रक्षित निरीक्षक पुलिस लाईन, रायपुर के कार्यालय में 15 दिवस के अंदर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर वाहन ले जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उनके द्वारा जमा की गयी पूर्ण राशि राजसात की जावेगी ।
05. अस्वीकृत बोलीकर्ता की अमानत राशि को नीलामी दिनांक के 03 दिन पश्चात् रिलीज किया जा सकेगा ।
06. प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक अमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। लिफाफे के ऊपर वाहन क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है।
07. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
08. वाहन खरीदने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वाहन का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर स्थानांतरण करवायेंगे ।
09. बोलीकर्ता को अमानत की राशि के साथ-साथ अपना पूरा नाम, पता, दूरभाष नम्बर एवं मोबाईल नंबर सहित साफ-साफ लिखना अनिवार्य है ।

(प्रदीप गुप्ता)
पुलिस महानिरीक्षक,
रायपुर क्षेत्र, रायपुर